

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर

मिसल नं० 578
अन्तर्गत धारा 111-128 आरटीए

निर्णय दिनांक:- 13-06-2018

:: निर्णय ::

प्रार्थी श्री विजय पिंड सुन्दरम

जति 2 (म) उम्र नि० वारे' अरा' 111 तहसील डूंगरपुर ने न्याय आपके द्वार अभियान 2018 लोक अदातत कपकप दिनांक 13-06-18 को इस आशय का एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 ले0रे0एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की मौजा वारे' अरा' 111 पंचायत समिति डूंगरपुर में स्थित खाता संख्या 100 पर आराजी नं० 592 वारे' अरा' 111 कुल 2 बीघा 1 बिस्वा कित्ता 1 योग रकबा 2 वारे' अरा' 111 पर प्रार्थी मालिक काबिज होकर कृषि कास्त करता आ रहा है और अप्रार्थीगण से आये दिन सीमा (हेडे, पारी) की बात को लेकर विवाद होता है। करते है और लडाईं झगडा करते है। इस वजह से प्रार्थी अपनी उक्त आराजी पर पत्थरगढी कराना चाहता है। जिस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थी हरा' पिंडग नि० वारे' अरा' 111 ने भी पत्थरगढी करने की सहमति दी है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम वारे' अरा' 111 के खसरा नं० 549 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा कुल कित्ता 1 योग रकबा 2 की जमाबंदी सम्वत् 2017 की प्रमाणित प्रति भी संलग्न की है।

पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रार्थी द्वारा नक्शा ट्रेस एवं जमाबंदी प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार प्रार्थी खातेदार कास्तकार है ओर विपक्षीगणों द्वारा किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया गया एवं सहमति प्रदान की गई है। इस प्रकार मौजा वारे' अरा' 111 स्थित खाता संख्या 100 पर आराजी नं० 592 रकबा 2 कुल कित्ता 1 कुल रकबा 2 की पत्थर गढी कराने का हकदार है।

लिहाजा मौजा वारे' अरा' 111 में स्थित खाता संख्या 100 पर आराजी नं० 592/438 रकबा 2 कुल कित्ता 1 कुल रकबा 2 विवादप्रस्त आराजी की पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार डूंगरपुर भू0अ0 निरीक्षक दयाल के नेतृत्व में टीम गठीत कर बिना किसी अन्य खातेदार के खाते को डिस्टर्ब किये पत्थर गढी की जावे। तहसीलदार, डूंगरपुर को तहरीर जारी हो पत्थरगढी शुल्क रू० 500/- प्रार्थी स्वयं राजकोष में जमा करावे तभी पत्थरगढी की जावे। पत्रावली फ़ैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर